जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 270 प्रभात चूरू, रविवार 29 जनवरी, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

नॉरफोक के 5 मील लम्बे समुद्र तट पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में सील पप्स (सील के बच्चे) ने जन्म लिया है। अभी तक 3,790 सील पप्स की गिनती की जा चुकी है और वॉलैन्टियर्स को 1169 वयस्क भी नज़र आए हैं। इस बार पप्स की संख्या लगभग दोगुनी है। गत बार 2019-20 में गणना हुई थी तब 2,069 पप्स थे। फ्रैन्ड्स ऑफ हॉर्सी सील संस्था के प्रमुख पीटर एन्सल ने कहा कि "यह हैल्दी कॉलोनी का संकेत है। इस समय नॉर्थ सी में हजारों सील्स के भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ हैं। इसलिए यह उनके प्रजनन के लिए अच्छी जगह है।" हर साल नवम्बर और जनवरी के बीच में ग्रे सील्स बड़ी संख्या में प्रजनन के लिए नॉरफोक तट पर आती हैं। सील के बच्चे तीन सप्ताह तक मां का दूध पीते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। उसके बाद वयस्क मादा ग्रे सील लौट जाती हैं और बच्चे तट पर ही बने रहते हैं। जब बच्चों का सफेद फर हट जाता है और उसकी जगह सलेटी (ग्रे) फर आ जाता है तो वे भी समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में तीन सप्ताह लगते हैं। ग्रे सील की आधी से ज्यादा आबादी ब्रिटिश तट रेखा पर मिलती है और नॉरफोक इनका महत्वपूर्ण प्रजनन केन्द्र है। वैक्सहैम से विंटरटन के बीच में हर साल बड़ी संख्या में सील आती हैं, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। एन्सल ने कहा कि, पर्यटकों में ये सील काफी लोकप्रिय हैं। फ्रैंड्स ऑफ हॉर्सी सील वर्ष 2012 से नॉरफोक की सील कॉलोनी की देखभाल कर रहा है। ये सील इंसानी हस्तक्षेप के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं।

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पुनः शुरू की

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में भारत जोड़ो यात्रा पुनः शुरु कर दी। ज्ञातव्य है कि कल अनंतनाग जिले में, पार्टी द्वारा सुरक्षा-खामी के आरोप लगाये जाने के बाद, पद यात्रा रद्द कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री तथा पी.डी.पी. प्रमुख महबूबा मुफ्ती अपनी पुत्री इल्तिजा मुफ्ती तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में शामिल हुई थीं।

इससे पूर्व राहुल गांधी ने सी.आर.पी.एफ. के न 40 जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की, जो 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुये बस बम ब्लास्ट में शहीद हो गये थे।

गांधी, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में हैं, ने उस स्थान पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा, जहाँ चार साल पहले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैशे-मुहम्मद के आत्मघाती बॉम्बर ने सी.आर.एफ. की बस को उड़ा दिया था।

- यात्रा का शनिवार की रात को श्रीनगर के नजदीक पंथा चौक पहुंचने का कार्यक्रम है।
- रात्रि विश्राम के बाद पंथा चौक से आरंभ होकर श्रीनगर के नजदीक बूलेवार्ड रोड के नेहर में रूकेगी।
- सोमवार को राहुल गांधी श्रीनगर में एम.ए. रोड पर स्थित पार्टी के मुख्यालय में झण्डा रोहण करेंगे, इसके बाद शहर के एस.के. स्टेडियम में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 23 विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है।
- शनिवार को यात्रा के लिये सख्त सुरक्षा मुहैया करायी गयी थी तथा सुरक्षाकर्मियों ने, यात्रा जहां से शुरू हुई, उस तरफ जाने वाले सभी रोड सील कर दिये थे। केवल ऑथराइज्ड वाहन व पत्रकारों को ही वहां जाने की अनुमति दी गयी थी।
- यात्रा को दक्षिण कश्मीर के चुरसू क्षेत्र में भारी उत्साहवर्द्धक स्वागत मिला।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पद यात्रा की शुरुआत प्रातः 9:20 बजे शुरु की। वे, इन दिनों उनकी पहचान बन चुकी सफेद टी-शर्ट पहने हुये थे लेकिन आज उन्होंने टी-शर्ट के ऊपर बिना आस्तीन की जैकेट पहन रखी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अवन्तीपुरा में यात्रा में शामिल हो गई थीं। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि इस केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा किया गया पुलिस-बंदोबस्त "पूरी तरह ध्वस्त हो गया है।"

इस आरोप पर, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि हो सकता है कि अनुमान से कहीं बहुत ज्यादा भीड़ के कारण सुरक्षा-संसाधनों पर पड़े दबाव के फलस्वरुप ऐसा लगा हो कि यात्रा के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था में कोई कमी है।

ज्ञातव्य है कि यात्रा के लिये बहुत सख्त सुरक्षा-व्यवस्था की गई तथा यात्रा की शुरुआत होने वाले स्थान तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थरूर एक बार फिर विवाद में फंसे?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जनवरी। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर एक बार फिर से तूफान का केन्द्र बन गए हैं। उन्होंने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बी.बी.सी. की डॉक्यूमैन्टरी के भारतीय राजनीति पर असर को कमतर आंक कर विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने इस डॉक्यूमैन्टरी को "नॉन इश्यु" करार दिया।

इस दृष्टिकोण को उनकी ही पार्टी के रूख के विपरीत माना जा रहा है। थरूर ने उक्त विवादास्पद दंगों पर किसी बहस को निरर्थक बताया है।

डॉक्यूमैन्टरी को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। यद्यपि थरूर ने कहा था कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के घाव नहीं भरे जा सकेंगे, फिर भी इस मुद्दे पर बहस करने से धर्मनिरपेक्ष कैम्प के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा।

थरूर एक ट्विटर यूजर को जवाब दे रहे थे जिन्होंने दावा किया था कि थरूर ने भारतीयों से कहा कि वह दंगों पर ध्यान देना बंद करे। ट्वीट में कहा गया कि "शशि थरूर ने वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार को लेकर ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने को कहा था। कल उन्होंने भारतीयों से कहा कि वे वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर ध्यान ना देकर आगे की सोचें।"

थरूर ने इसका जवाब यह कहकर दिया "मैंने ऐसा नहीं किया। मैं यह बार-बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरा मानना है कि गुजरात के घाव पूर्ण रूप से नहीं भरे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम निर्णय दे चुका है, इसलिए इस मुद्दे पर बहस करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, खासतौर पर तब जबकि कई अत्यावश्यक सामाजिक मुद्दों को हल करने की जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि "मैं मानता हूँ कि अन्य लोग मेरे विचार से शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन साम्प्रदायिक मुद्दे उठाने का मेरा चार दशक का रिकॉर्ड रहा है और गुजरात दंगा पीड़ितों के पक्ष में मैं दो दशकों तक खड़ा रहा। इसलिए मेरे विचार से असहमत होना काफी हद तक कुटिलता है। "धर्मनिरपेक्ष कैम्प" के लोगों को दुर्भावना रखने से कुछ प्राप्त नहीं होगा।

- उन्होंने बी.बी.सी. की प्र.मंत्री के बारे में निर्मित डॉक्यूमैन्टरी को "नॉन इश्यु" (महत्वहीन) बताया
- थरूर ने कहा, अब हमें गुजरात दंगों से आगे बढ़ना चाहिये।
- डॉक्यूमैन्टरी पर प्रतिबंध लगाने से कोई लाभ नहीं हुआ, केवल डॉक्यूमैन्टरी का महत्व बढ़ गया।
- थरूर का यह सोच कांग्रेस की इस मुद्दे पर घोषित नीति के खिलाफ है। कांग्रेस ने कई जगह डॉक्यूमैन्टरी को "स्क्रीन" करने का प्रयास किया है, इस विषय के तहत।

इस बीच, कई गैर-भाजपा विद्यार्थी संगठनों ने पूरे भारत में फैले अपने विश्वविद्यालय परिसरों में इस फिल्म को देखा है, जबकि प्रशासन इसे निषिद्ध घोषित कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बी.बी.सी. डॉक्यूमैन्टरी सीरीज की स्क्रीनिंग के लिये एन.एस.यू.आई.-के.एस.यू.आई. के आव्हान के फलस्वरूप दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर से करीब 20 लोग हिरासत में ले लिये। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर (सी.आर.पी.सी.) की धारा 144 लागू कर दी गई है।

इससे पूर्व, पत्रकारों से बातचीत करते हुये, थरूर ने कहा कि भारत की सम्प्रभुता सिर्फ इसलिये ही कमजोर नहीं हो जाती कि बी.बी.सी. ने 2002 के गुजरात के दंगों के ऊपर कोई विवादास्पद डॉक्यूमैन्टरी बना दी है। थरूर ने कहा, "मामला (गुजरात के दंगे) खत्म हो चुका है। क्या हम आज अन्य महत्वपूर्ण चीजों की ओर नहीं बढ़ सकते?" थरूर ने डॉक्यूमैन्टरी विवाद की तुलना "बारबारा स्ट्रीजैंड" प्रभाव (किसी चीज को सेंसर करना, छिपाना या उससे ध्यान दिलाने की कोशिश हुआ करते हैं) से की। उन्होंने कहा, "साफ बात यह है कि, हमारी सम्प्रभुता इतनी कमजोर नहीं है कि बी.बी.सी. की कोई डॉक्यूमैन्टरी उसे नष्ट कर सके और फिर इस डॉक्यूमैन्टरी में ऐसा है क्या?" उन्होंने कह कि ब्रिटेन द्वारा गुजरात के दंगों की जांच-पड़ताल किया जाना इस समय कोई समाचार नहीं है क्योंकि ये 2002 में हुये थे और उसके बाद देश आगे बढ़ गया है।

थरूर ने कहा, "हम जानते थे कि हर दूतावास यह जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। खासतौर से वे दूतावास इस दिशा में ज्यादा सक्रिय थे, जिनके नागरिक इन घटनाओं की जद में थे। सच्चाई यह है कि हम भी ऐसा ही करते। अगल कल, भारतीय लोग इंग्लैण्ड में दंगों में मार जाते हैं तो हमारा दूतावास भी ऐसा ही करेगा, जैसा कि, मेरा मानना है, भारतीय दूतावास ने लीस्टर हिंसा के बाद, ऐसा ही किया था। यह कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य बात है।" थरूर ने आगे कहा, "यह मुद्दा बहुत तेजी से एक बड़े विवाद का रूप इसलिये ले गया, क्योंकि केन्द्र सरकार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैप्टन अमरिन्दर महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जनवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह (80), जो पटियाला राज-परिवार के वंशज हैं, जल्दी ही महाराष्ट्र के राज्यपाल की नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। अभी चन्द रोज़ पहले ही महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल बी.एस. कोशियारी ने राज भवन छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। ज्ञातव्य है कि कोशियारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

- दिसम्बर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अमरिन्दर सिंह को पार्टी कोई महत्वपूर्ण पद देना चाहती है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है, हालांकि अमरिन्दर पंजाब में ही रहना चाहते हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने अभी दिसम्बर में ही अमरिन्दर को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया था। इससे पूर्व उन्होंने कांग्रेस छोड़ देने के बाद बनाई गई अपनी पार्टी को भंग कर दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायाधीश मुरलीधर की नियुक्ति फिर लटकी!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जनवरी। केन्द्र सरकार ने एक जज के मामले में कोलीजियम को थका दिया है। केन्द्र सरकार ने उस जज के नाम पर असहमति जतायी थी जिन्होंने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों में एक अरूचिपूर्ण निर्णय किया था।

कोलीजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जसवंत सिंह को त्रिपुरा का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। कोलीजियम ने इससे पहले उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी, जिसे उसने ही बाद में रद्द कर दिया था।

केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा के चीफ जस्टिस के पद को ब्लॉक कर दिए जाने के बाद कोलीजियम की उक्त सिफारिश सामने आई है। केन्द्र ने उड़ीसा हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर का और बड़े हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में तबादला रोक दिया है।

मुरलीधर तीन वर्ष पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। तब उन्होंने भाजपा नेताओं की हेट स्पीच पर पुलिस को एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। उसके एक दिन बाद जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया था। अन्ततः उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किया गया।

कोलीजियम द्वारा जस्टिस सिंह के नाम की सिफारिश किए जाने से जजों सहित जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस सिंह की पदोन्नति और तबादले की सिफारिश की थी। लेकिन केन्द्र सरकार जस्टिस मुरलीधर के तबादले की फाइल दबाकर बैठ गई, जिसका मतलब था कि तीन सिफारिशों पर मंजूरी देने के दौरान

- न्यायाधीश मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के आदेश जारी हो गए थे।
- और, उनके वर्तमान उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर न्यायाधीश जसवंत सिंह को लाने का निर्णय ले लिया गया था।
- पर, फिर अचानक न्यायाधीश जसवंत सिंह की नियुक्ति के आदेश बदल दिये गये और न्यायाधीश मुरलीधर का मद्रास जाना स्थगित हो गया।
- न्यायाधीश मुरलीधर ने दिल्ली के दंगों के दौरान भाजपा नेताओं के खिलाफ, "हेट स्पीच" के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये दबाव बनाया था।

जस्टिस मुरलीधर का भाग्य अधरझूल में लटक गया है और इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों के मामले में केन्द्र के साथ वर्चस्व की लड़ाई में अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कोलीजियम ने गत 28 सितम्बर को हाई कोर्टों के तीन अन्य जस्टिस सिंह की पदोन्नति को भी रोकना होगा। कोलीजियम के प्रस्ताव में 25 जनवरी को कहा गया था कि "सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की 25 जनवरी को मीटिंग हुई। उसमें 28 सितम्बर 2022 में की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार कर उन्हें रद्द किया गया।

'फोटो वायरल करने की धमकी से डर कर फांसी लगाई'

हनुमानगढ़, 28 जनवरी (कासं)। जिले के भादरा में 12वीं कक्षा की छात्रा ने दो लड़कों द्वारा बार-बार परेशान किए जाने और उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी से प्रताडित होकर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। छात्रा के भाई ने बताया कि आरोपी लड़कों ने उससे कहा था कि "तुम्हारी बहन हमसे बात करती है और उसकी फेसबुक आईडी है। हमारे पास तुम्हारी बहन की कई आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो उसे बदनाम कर देंगे।" 26

- 12वीं कक्षा की छात्रा के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में उसके भाई ने बताया कि, आरोपी लड़के छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इकोनॉमिक नीतियों के बाद यू.एन.ओ. पाकिस्तान को मानवाधिकार मामलों में भी आड़े हाथ लेगा

जिनेवा स्थित यू.एन. वॉच नाम की मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम कर रही स्वतंत्र संस्था अपनी रिपोर्ट पेश करेगी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 जनवरी। पाकिस्तान का आर्थिक कुप्रबंधन जैसे पर्याप्त नहीं था। अब मानवाधिकार रिकॉर्ड में झूठे तथ्य जोड़ने में उसके खिलाफ एक और अभियोग लग सकता है।

पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर सोमवार 30 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनिवार्य रिव्यू मीटिंग होने वाली है, लेकिन एक मानवाधिकार ग्रुप ने उससे पहले ही रहस्योद्घाटन कर दिया है कि पाकिस्तान ने 47 देशों को मिलाकर बनी जिस ह्यूमन राइट्स काउन्सिल में अपना जो निवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें कई झूठे दावे किए गए हैं।

जिनेवा स्थित "यू.एन. वॉच" जो कि एक स्वतंत्र गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन है, के कार्यकारी निदेशक हिलल नॉय ने कहा कि "पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड का जो निवेदन प्रस्तुत किया है, वह झूठ से भरा पड़ा है। नॉय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान के सैन्य प्रभुत्व शासन से यह अनुरोध जरूर करना चाहिए कि वह उत्पीड़न, लोगों को जबरन गायब करवाना, बाल भ्रम और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा बंद करे तथा स्वतंत्र मीडिया का गला घोटना, फेसबुक व ट्विटर को सैन्सर करना, हिन्दुओं, ईसाईयों, सिखों, शियाओ और अहमदियों का उत्पीड़न करना बंद करे तथा आतंकवादी समूहों की मेजबानी व चीन में हो रहे वीगर मुस्लिमों के उत्पीड़न का समर्थन करने से बाज आए।"

- नागरिकों का लापता होना, बाल श्रम, महिलाओं के विरूद्ध किये गये टॉर्चर, मीडिया पर लगायी गयी सख्त पाबंदियों तथा हिन्दुओं, सिख, शिया, अहमदी समुदायों की स्थिति तथा आतंकवादियों को संरक्षण देने के मामले उठाये जायेंगे।
- पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य व वास्तविकता में मौजूद भारी फर्क को भी सुनियोजित तरीके से उजागर करने का इरादा जताया है यू.एन. वॉच ने।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: पाकिस्तान का दावा है कि "अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनकी जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई विधायी, नीतिगत और प्रशासनिक उपाय किए हैं।"

वास्तविकता: असलियत यह है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता और उनकी संख्या देश की कुल आबादी का 4 प्रतिशत ही है। पाकिस्तान का संविधान अल्पसंख्यकों से भेदभाव करता है और उन्हें राजनीति में आने से रोकता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हिंसा और हमले बढ़ रहे हैं। जनवरी 2022 में चरमपंथियों ने पेशावर के पादरी विलियम सिराज की हत्या कर दी थी। मई 2022 में देश में हुई अलग-अलग वारदातों में दो सिख व्यापारियों और अहमदी सम्प्रदाय के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। इस व्यक्ति के परिजनों में एक प्रमुख मौलवी और उसके मदरसे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अहमदी सम्प्रदाय के खिलाफ हत्या और हिंसा भड़काई है। जून 2022 में कराची के एक हिंदू मंदिर का अपवित्र किया गया था। अक्टूबर में ड्श वैली ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरूद्ध घृणास्पद अपराधों में बढ़ोत्तरी की खबर दी थी। लोगों को जबरन गायब करवानाः पाकिस्तान का दावा है कि कथित गायब व्यक्तियों के केसों केा कमीशन ऑफ इन्क्वायरी द्वारा त्वरित गति और कुशलता से निबटाया जा रहा है।

हकीकत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जून 2022 में इस दावे का खंडन किया। उसने अपने निर्णय में जबरन गायब हुए लोगों के लिए गठित कमीशन ऑफ इन्क्वायरी की जमकर आलोचना की। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने टिप्पणी की थी कि कमीशन अपना दायित्व निभाने में नाकाम रहा है और उसे यह सफाई देनी होगी कि उसका अस्तित्व अब भी क्यों बना हुआ है। कोर्ट ने लोगों के गायब होने में यह कहते हुए सरकार की मिलीभगत की आलोचना की थी कि "आप यह साबित कर रहे हैं कि लोगों को जबरन गायब करवाना जनरल मुशर्रफ के समय से सरकार की नीति रही है।"

ईशनिंदा कानूनः पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सरकार ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।" वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के एन.जी.ओ. "सैन्टर फॉर सोशल जस्टिस" ने बताया था कि वर्ष 2021 में पाकिस्तान में कम से कम 84 लोगों पर ईशनिंदा के आरोप लगाए गए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उच्चैन क्षेत्र में गिरा जलता हुआ सुखोई विमान

रुदावल, 28 जनवरी (निसं)। भरतपुर जिले के उच्चैन उपखण्ड के गांव चक नगला बीजा में शनिवार सुबह करीब 10 बजे सेना का लडाकू विमान सुखोई 30 गिर गया, विमान में आसमान में ही आग लग गई थी पांच सौ मीटर दूरी तक विमान के टुकड़े बिखर गए और विमान गिरने की जगह से महज सौ मीटर दूर पर ही गांव की आबादी है। गनीमत रही कि विमान खुले स्थान पर गिरा जिससे कोई जनहानि नही हुई। ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय विमान गांव के ऊपर होकर निकला

- भरतपुर के उच्चैन क्षेत्र में एक गांव चक नगला बीजा के समीप यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों ने बताया कि विमान जब गांव के ऊपर से गुजरा तब उसमें आग लगी हुई थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)